न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री ओ.पी. बुनकर, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 08/2021 (राजस्व अपील)
RCMS NO : 2021/18

अनवान

1. श्री रता पिता श्री रामा कुमावत, निवासी सुल्तान जी का खेरवाड़ा, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर (राज.)

—अपीलान्ट

बनाम

1. पटवारी पटवार हल्का सुल्तान जी का खेरवाड़ा, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्री रूपा पिता श्री अम्बावा भील, निवासी—सुल्तान जी का खेरवाड़ा, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्री नाथा पिता श्री देवा भील, निवासी—सुल्तान जी का खेरवाड़ा, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर (राज.)
4. श्री हकरा पिता श्री देवा भील, निवासी—सुल्तान जी का खेरवाड़ा, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर (राज.)
5. श्री मानाराम पिता श्री देवा भील, निवासी—सुल्तान जी का खेरवाड़ा, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर (राज.)
6. श्री नाना पिता श्री देवा भील, निवासी—सुल्तान जी का खेरवाड़ा, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर (राज.)

— रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित

1. श्री मनीष शर्मा, अधिवक्ता अपीलान्ट।
2. श्री कल्पित जैन, राजकीय अभिभाषक।

अपील अंतर्गत धारा 225, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
अपील विरूद्ध प्र.सं. 4/2020 न्यायालय तहसीलदार झाड़ोल, आदेश दिनांक 10.03.2021

* निर्णय *

दिनांक — 23-02-2022

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने इस न्यायालय में अपील अन्तर्गत धारा 225, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि मौजा सुल्तान जी का खेरवाड़ा, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर में आराजी संख्या 1527, 1533, 2664/1529 भूमि स्थित है, जिसके संबंध मे रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 6 द्वारा एक प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी झाड़ोल के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा सुल्तान जी का खेरवाड़ा, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर में आराजी संख्या 1527, 1533, 2664/1529 हमारी खातेदारी भूमि है, जिस पर अपीलान्ट द्वारा कब्जा किया जा रहा है, उसे हटाया जावें। उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2022.03.14 10:35:46 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर उपखण्ड़ अधिकारी द्वारा तहसीलदार झाड़ोल को प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया एवं अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार झाड़ोल द्वारा पटवारी को मौके पर भेजकर मौका रिपोर्ट तलब की गई, जो अपीलान्ट की अनुपस्थिति मे बनायी जाकर उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार झाड़ोल ने मौजा सुल्तान जी का खेरवाड़ा की आराजी संख्या 1533 पर अतिक्रमण के संबंध मे अपीलान्ट को तलब किया। अधिनस्थ न्यायालय से सूचना प्राप्त होने पर अपीलान्ट ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर रिपोर्ट के संबंध मे आपत्ति प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी संख्या 1533 रकबा 0.2700 हेक्टेयर पर अपीलान्ट की अन्य आराजीयात के समीप स्थित है एवं उक्त भूमि पर अपीलान्ट का आधिपत्य सेटलमेंट से पूर्व से चला आ रहा है। अपीलान्ट की पक्की वाउण्ड्रीवाल बनी होकर काश्त की जा रही हैं एवं अपीलान्ट का ट्युबवेल होकर मौके पर उडद की फसल मौजूद है। अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट्स की भूमि पर कोई नया अतिक्रमण नहीं किया हैं, बल्कि रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपीलान्ट की भूमि पर अतिक्रमण किये जाने से अपीलान्ट द्वारा इनके विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी मे स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर रखे है, जो विचाराधीन हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के जवाब को पढे बिना एवं दस्तावेज, साक्ष्य का अवलोकन किये बिना निर्णय पारित कर दिया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को यह ज्ञान होते हुए भी उक्त आदेश के विरूद्ध सक्षम न्यायालय मे वाद विचाराधीन है। मौके पर विधि विरूद्ध तरीके से अपीलान्ट की बनी हुई वाउण्ड्रीवाल को तोड़कर मौके की स्थिति को बदल दिया। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त करने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये जाकर अपना पक्ष/प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से राजकीय अभिभाषक द्वारा उपस्थिति दी गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 की ओर से श्री शिवकुमार सालवी अधिवक्ता द्वारा वकालातपत्र प्रस्तुत किया गया। शेष रेस्पोडेन्ट के नाम जारी नोटिस बाद तामिल प्राप्त हो जाने के बावजूद कोई उपस्थित नहीं हुआ। अधिनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली तलब की जाकर प्रकरण मे सुनवाई हेतु तिथि नियत की गई।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को अपीलान्ट अधिवक्ता एवं राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 6 की ओर से कोई उपस्थित न होने से मामले मे अपीलान्ट अधिवक्ता एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई। बहस प्रारंभ करते हुए अपीलान्ट अधिवक्ता ने अपने अपील मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए आराजी संख्या 1533 रकबा 0.2700 हेक्टेयर भूमि पर अपीलान्ट का पुराना कब्जा सेटलमेंट से पूर्व का होना, मौका रिपोर्ट एकतरफा होना, अपीलान्ट की वाउण्ड्रीवाल, ट्युबवेल होना, काश्त होना अवगत कराया एवं अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार झाड़ोल द्वारा पारित निर्णय को विधि विरूद्ध बताते हुए निरस्त करने की मांग की।

राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग के सदस्य की खातेदारी भूमि पर अतिक्रमण करने से अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार झाड़ोल द्वारा 183–बी के तहत प्रकरण दर्ज कर अपीलान्ट को मौके से बेदखल करने का आदेश पारित किया है, जो विधिसम्मत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2022.03.14 10:35:46 IST
Reason: SelfAttested

हमनें अपीलान्ट अधिवक्ता एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध अपीलान्ट की अपील, अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार झाड़ोल की पत्रावली आदि का अवलोकन किया एवं वर्णित तथ्यों पर गम्भीरता से मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली से ज्ञात होता है कि रेस्पोडेन्ट्स द्वारा उपखण्ड़ अधिकारी झाड़ोल को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उनकी खातेदारी भूमि मे अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण करने से अपीलान्ट को बेदखल करने का अनुरोध किया गया। उपखण्ड़ अधिकारी द्वारा तहसीलदार झाड़ोल को प्रकरण नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु अग्रेषित किया गया। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार झाड़ोल द्वारा पटवारी हल्का से मौका रिपोर्ट तलब कर प्रकरण संख्या 04/2020 दर्ज कर अपीलान्ट को नियमानुसार सूचना पत्र जारी कर सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है। अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे पुनः जांच बाबत अनुरोध करने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायहित मे पुनः मौका जांच करायी गई हैं। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को पर्याप्त सुनवाई का अवसर दिया जाना पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट जाहिर होता है।

मामले मे यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है एवं रेस्पोडेन्ट्स अनुसूचित जनजाति वर्ग के सदस्य हैं। अनुसूचित जनजाति के सदस्य द्वारा धारित भूमि पर अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य द्वारा बिना विधिपूर्ण प्राधिकार के कब्जा किया गया हैं। अपीलान्ट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो सके की रेस्पोडेन्ट्स के नाम दर्ज भूमि पर उसका कोई वैध अधिकार हो। अपीलान्ट द्वारा कथित अतिक्रमित भूमि को उसकी खातेदारी भूमि के समीप होना अपील मे बताया है, किन्तु स्वयं की खातेदारी भूमि के समीप अन्य वर्ग के सदस्य की भूमि होने का तात्पर्य यह नहीं है की दुसरे की खातेदारी भूमि मे हस्तक्षेप किया जावें। अपीलान्ट द्वारा उक्त भूमि बाबत वाद दायर करना अवगत कराया है, किन्तु पुष्टि स्वरूप कोई दस्तावेज सलंग्न नहीं किया हैं। अपीलान्ट अतिक्रमी है एवं अतिक्रमी की हैसियत से अपीलान्ट का कथित भूमि पर कोई विधिक अधिकार सिद्ध नहीं होता हैं। तहसीलदार द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183–बी मे वर्णित प्रावधानानुसार प्रकरण दर्ज कर अपीलान्ट को मौके से बेदखल करने का आदेश पारित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे किसी प्रकार की त्रुटि प्रथम दृष्ट्या परिलक्षित न होने से उक्त निर्णय मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज की जाती है एवं अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार झाड़ोल, जिला उदयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 04/2020 में पारित निर्णय दिनांक 10.03.2021 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2022.03.14 10:35:46 IST
Reason: SelfAttested

(ओ.पी. बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर